# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव** R.A.S.

**प्रार्थना पत्र संख्या :– 10 / 2020** **दायर तारीख :– 18-02-2020**

1. शैतान उर्फ सुल्तान पुत्र स्व0 हरलाल जाति गुर्जर निवासी नीमली तन बजरंगपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

**— प्रार्थी**

**बनाम**

1. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)।

**— अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती रिकॉर्ड**

**उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी**

**पैरोकार सरकार**

**निर्णय**

**निर्णय दिनांक:– 24.11.2020**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम नीमली पटवार हल्का बजरंगपुरा के खाता संख्या 34 के खसरा नंबर 216, 217, 238, 248, 258, 274, 275, 297, 298, 304 लगायत 307, 315, 316, 343/549, 359, 360, 363, 370 लगायत 399, 411, 412, 413 कुल किता 52 कुल रकबा 23.54 हैक्टेयर की खातेदारी में हिस्सा 1/14 की खातेदारी प्रार्थी सुल्तान पुत्र हरलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। यह है कि प्रार्थी को उसके घरवाले व अन्य जानकार व्यक्ति, आस–पडोस, रिश्तेदार आदि सुल्तान व शैतान दोनों ही नामों से जानते, पहचानते व पुकारते है। यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शैतान पुत्र हरलाल के बजाय सुल्तान पुत्र हरलाल अंकित कर दिया जो कि गलत है, जो कि काबिले दुरूस्ती है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से सुल्तान पुत्र हरलाल दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्ड, आदि में वास्तविक नाम शैतान पुत्र हरलाल है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम नीमली पटवार हल्का बजरंगपुरा के खाता संख्या 34 के खसरा नंबर 216, 217, 238, 248, 258, 274, 275, 297, 298, 304 लगायत 307, 315, 316, 343/549, 359, 360, 363, 370 लगायत 399, 411, 412, 413 कुल किता 52 कुल रकबा 23.54 हैक्टेयर में अंकित प्रार्थी का नाम सुल्तान पुत्र हरलाल के बजाय शैतान पुत्र हरलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम नीमली खाता संख्या 34 संवत् 2074–2077(पृष्ठ–3), फोटो प्रति ग्राम पंचायत बजरंगपुरा का प्रमाण–पत्र, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड VWWWCXR, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 4676-4339-1425 आदि पेश किये गये।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

4. वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाके ग्राम नीमली पटवार हल्का बजरंगपुरा के खाता संख्या 34 के खसरा नबर 216, 217, 238, 248, 258, 274, 275, 297, 298, 304 लगायत 307, 315, 316 343/549, 359, 360, 363, 370 लगायत 399, 411, 412, 413 कुल किता 52 कुल रकबा 23.54 हैक्टेयर की खातेदारी में हिस्सा 1/14 की खातेदारी प्रार्थी सुलतान पुत्र हरलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थी को उसके घरवाले व अन्य जानकार व्यक्ति, आस–पडोस, रिश्तेदार आदि सुल्तान व शैतान दोनों ही नामों से जानते, पहचानते व पुकारते है। यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शैतान पुत्र हरलाल के बजाय सुल्तान पुत्र हरलाल अंकित कर दिया जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 4676-4339-1425, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड VWWWCXR, भारत निर्वाचन आयोग

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पहचान–पत्र आदि में वास्तविक नाम शैतान पुत्र हरलाल है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सुल्तान एवं शैतान पुत्र हरलाल एक ही व्यक्ति होने का कथन किया है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप पेश श्री बहादुरमल पुत्र हरलाल एवं श्री लेखराज पुत्र हरलाल ने शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम सुल्तान पुत्र हरलाल के बजाय शैतान पुत्र हरलाल होने का कथन किया है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

**आदेश**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं वाकै ग्राम नीमली पटवार हल्का बजरंगपुरा के खाता संख्या 34 के खसरा नंबर 216, 217, 238, 248, 258, 274, 275, 297, 298, 304 लगायत 307, 315, 316, 343/549, 359, 360, 363, 370 लगायत 399, 411, 412, 413 कुल किता 52 कुल रकबा 23.54 हैक्टेयर में हिस्सा 1/14 की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम सुलतान पुत्र हरलाल के बजाय शैतान पुत्र हरलाल दर्ज किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24.11.2020 को सुनाया गया।**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
विराटनगर (जयपुर)

( राजवीर सिंह यादव, R.A.S )
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)